कृषि एवं ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका

(श्रीगंगानगर जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर

श्री गुरू नानक खालसा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.)।

शोध कार्य का परिचय

हमारा देश गांवों का देश है यह कथन सत्य है कि गांवों में ही भारत की आत्मा बसती है। सुजलां, सुफलां मलयजशीतलां, सुश्यास्यामलां मातरम्" आदि कहकर कवियों ने भारत माता का जो चित्रण किया है यह उसके ग्राम प्रधान स्वरूप को प्रदर्शित करता है। देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है और कृषि कार्य करती है। प्राचीन काल से ही कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र रहा है। प्रधान व्यवसाय होने के कारण कृषि भारत जैसे विकासशील देश की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत, रोजगार एवं जीवन यापन का प्रमुख साधन, औद्योगिक विकास वाणिज्य एवं विदेशी व्यापार का आधार है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ तथा विकास की कुंजी है। प्राचीन काल में भारत कृषि सम्पन्न था तथा यहाँ के कृषक खुशहाल थे। गैर कृषि मौसम में यहाँ के लोग कृषि पर आधारित उद्योगों को चलाकर आय अर्जित करते थे। इस तरह से भारत का प्रत्येक गाँव सम्पन्न एवं प्रगतिशील था। यहाँ के लोग पूर्णतया आत्मनिर्भर थे। फलतः भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसके कारण पूरे विश्व की नजर भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई थी। फलतः भारत मुगलों के अधिकार में हो गया। यद्यपि मुगल शासकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बाधित तो नहीं किया लेकिन इन्होंने कृषि विकास के लिए कोई योजना भी नहीं बनाई, जिसके कारण भारतीय कृषि में स्थिरता आने लगी, साथ ही ये शासक कृषक वर्ग से लगान एवं कर के रूप में धन वसूलने लगे। जिससे कृषक वर्ग को भारी आघात पहुँचा।

1600 ई. में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की तभी से भारतीय कृषि के बुरे दिन शुरू हो गए। अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने भारत में प्रवेश किया। धीरे–धीरे इन लोगों ने अपने पैर भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर फैलाने शुरू कर दिए। व्यापार व व्यवसाय के रूप में आर्थिक सत्ता के साथ–साथ राजनीतिक सत्ता को भी हथियाने लगे। अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय कृषि एवं किसान वर्ग का भयंकर शोषण हुआ तथा यहाँ पर एक तरह से दोहरी शासन व्यवस्था प्रारम्भ हो गई। फलतः भारत में एक ओर तो ब्रिटिश हुकूमत थी तो दूसरी ओर इनके अधीन समझौतेबद्ध रजवाड़े थे, जो किसान वर्ग का भयंकर शोषण करते थे। कृषक वर्ग से यह लोग अनेक प्रकार के लगान एवं कर वसूल करते थे। किसानों से उनकी जमीन का मालिकाना हक भी छीन लिया गया था। किसानों में कृषि उत्पादन व उत्पादकता के प्रति कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। साथ ही भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होने के कारण यहाँ पर अकाल एवं अर्द्ध–अकाल की स्थिति सदैव बनी रहती थी। सरकार द्वारा कोई भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी जाती थी। इन सबके चलते भारतीय कृषि एवं यहाँ के लघु एवं कुटीर उद्योग धीरे–धीरे चौपट हो गये तथा कृषक वर्ग का शोषण जारी रहने के कारण इन लोगों का जीना दुश्वार हो गया था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का औद्योगिक आधार अत्यन्त ही दुर्बल था। कृषि की दशा भी अत्यन्त ही शोचनीय थी तथा लाखों ग्रामवासी परम्परागत कृषि प्रणाली के ढाँचे के बोझ के नीचे दब हुए थे। भारत की अर्थव्यवस्था निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के परिपेक्ष में अवरूद्ध आर्थिक विकास की लम्बी अवधि तथा उसके शीघ्र पश्चात् विश्व युद्ध के बोझ के कारण लगभग खोखली हो चुकी थी। यह वह समय था जब चारों तरफ गरीबी तथा अभाव का वातावरण था। राष्ट्र के विभाजन ने तत्कालीन समस्या को और विकट बना दिया तथा आर्थिक विकास का क्रम भी बिगड़ गया। कृषि और उद्योगों का उत्पादन स्तर निम्नतम सीमा पर पहुँच गया। राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुपात में, उपलब्ध राष्ट्रीय बचत अत्यन्त ही निम्न थी। वास्तविक अर्थ में स्वतंत्रता का लक्ष्य पूरा होना तभी संभव था जब आर्थिक नींव को सुदृढ़ करने हेतु वातावरण तैयार किया जाता।

इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर योजनाकाल में संस्थागत साख को विकसित किये जाने का भरपूर प्रयास किया जाने लगा जिसकी वजह से एक ओर मौजूदा सहकारी साख संस्था के ढाँचे को पुनर्गठित किया जाने लगा तो दूसरी तरफ व्यापारिक बैंक को निर्देश दिया गया कि कृषकों को ऋण उपलब्ध कराये। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 1969 में 14 बड़े बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया। छोटे कृषकों की प्रमुख आवश्यकता केवल साख ही नहीं वरन् समय पर कृषि आगम (इनपुट) एवं सहायक सेवाओं की उपलब्धि भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषक सेवा समितियों की स्थापना का निर्णय किया गया। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक ब्लॉक के लिए कृषक सेवा समिति अथवा किसी संस्था की स्थापना की जाए जो सुविधाजनक आकार की व्यवहार्य इकाई हो तथा कृषकों की साख के अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1973–74 में कृषक सेवा समितियों की स्थापना की गयी तथा कुछ ही वर्षों पश्चात् 1980 में 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इन बैंको को कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए मजबूर किया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 22 वर्षों पश्चात् 1969 तक व्यापारिक बैंकों का कृषि साख में 2 प्रतिशत से भी कम हिस्सा था। इसी के मध्य नजर राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया गया। गाँवो में संस्थागत साख के सुदृढ़ कार्यों में योगदान के लिए 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना की गयी। वर्तमान में यह बैंक कृषि एवं साख के लिए पर्याप्त मात्रा में आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों व वित्तीय संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कृषि वित्त बैंकों का निर्धारण कर विभिन्न संस्थाओं को मजबूत बनाने एवं कृषि ऋण योजना की सुदृढ़ कार्य योजना बनाने के उद्देश्य से शिवरमन समिति की अनुशंसा के आधार पर 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गयी।

नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कृषि व गैर कृषि दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए हुई है। इसने लघु सिंचाई को बढ़ावा दिया है। लघु व सीमान्त कृषकों के लिए व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है। भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि को समतल बनाने, इसको

खेत का स्वरूप देने, नालियां आदि बनाने आदि पर जोर दिया गया है। गैर कृषि ग्रामीण कार्यकलापों में हथकरघों के आधुनिकीकरण, बुनकरों द्वारा शेयरों के अधिग्रहण, रेशम, नारियल के रेशे, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों, ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों आदि के विकास पर बल दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की भांति ग्रामीण वित्त की यह संस्था (नाबार्ड) ग्रामीण लोगों एवं किसानों से प्रत्यक्ष व्यापार नहीं करती। नाबार्ड ग्रामीण लोगों एवं किसानों की सहकारी संस्थाओं वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के माध्यम से ही वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करता है। ग्रामीण वित्त की पर्याप्त सुविधाएं सुलभ करने के लिए नाबार्ड ने अनेक नीति परक निर्णय लिए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्वित की प्रक्रिया में अनेक सुधारात्मक उपायों का समावेश किया है। अपने नीति परक निर्णयों द्वारा नाबार्ड ने कमजोर वर्गों के लोगों को वित्तीय सुविधाएँ प्रदान किए जाने को प्राथमिकता दी है।

इस प्रकार नाबार्ड ग्रामीण वित्त की सभी संस्थाओं के लिए एक वित्तीय स्रोत मार्गदर्शक एवं समन्वयक बन चुका है जिसने ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का पुनर्गठन करके ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। विगत वर्षों के परिणाम यह आभास देते हैं कि नाबार्ड बैंक अपने उद्देश्यों को सफल बनाने के प्रति जागरूक हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण विकास ग्रामीण वित्त के बहुआयामी स्रोतों की विभिन्न कार्य पद्धतियों का ही परिणाम है। ग्रामीण वित्त संस्थाओं के संरक्षक के रूप में नाबार्ड अपनी भूमिका निभा रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण अँचलों में वित्तीय सुविधाओं के विस्तार एवं विकास की जो लहर देखने को मिल रही है। उसका श्रेय ग्रामीण वित्त की शीर्ष संस्था नाबार्ड को दिया जा रहा है।

शोध क्षेत्र

संविधान में यह स्पष्ट वर्णित है कि भारत "राज्यों का संघ" है अर्थात् भारत विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। भारत जैसे विशाल देश में राजस्थान का अपना विशिष्ट स्थान है। राजस्थान राज्य का गठन देसी रियासतों के एकीकरण से 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर सात चरणों में 1 नवम्बर 1956 को पूरा हुआ। वर्तमान राजस्थान के बीकानेर संभाग के सुदूर उत्तर में स्थित राज्य का सिरमौर जिला श्रीगंगानगर राज्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। "शस्य श्यामल उत्तर पश्चिमी सीमान्त नहरी क्षेत्र "श्रीगंगानगर जिला" जो भारत–रूस मैत्री के प्रतीक सूरतगढ़ कृषि फार्म का जन्मदाता है तथा जहाँ प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना भी है एवं कृषि उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका रखता है।"

श्रीगंगानगर की स्थापना

गंगनहर आने से पूर्व श्रीगंगानगर एक छोटा सा गाँव था जो भूतपूर्व बीकानेर रियासत की मिर्जावाली तहसील में रामनगर के नाम से जाना जाता था। इस गाँव की स्थापना सन् 1910 में महन्त रामगिरी के नाम पर की गई थी, फिर यह रामू जाट की ढाणी कहलाने लगी और बाद में रामनगर। 26 अक्टूबर 1927 को जब लार्ड इरविन ने गंगनहर का उद्घाटन किया तो इसके साथ ही उन्होंने रामनगर के नवीन नाम श्रीगंगानगर की भी घोषणा कर दी। पुरातत्व विशेषज्ञों जैसे डॉ. एल.पी. टेसीटोरी, डॉ. हरमैन गोयटेज, डॉ. हवाना रिथ और डॉ. बनर्जी द्वारा अनेक अन्वेषण और खुदाई कार्य किये गये है। खुदाई के समय टूटे–फूटे मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मोहरें व अनेक मुर्तियां तथा अवशेष प्राप्त हुए, जिनसे प्रमाणित होता है कि यह क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का एक अंग था।

वैदिक काल में सरस्वती नदी (घग्घर नाली) के मुहाने पर स्थित होने के कारण यह प्रदेश सारस्वत प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ आर्यों की बस्तियां रही है। महाभारत काल में यह प्रदेश जांगल नाम से जाना जाता था, इसलिए भूतपूर्व बीकानेर रियासत के शासकों को जंगलधर बादशाह कहा जाता था। मौर्य शासन के इस क्षेत्र में रहने की पुष्टि मृदा–मुद्राओं एवं सिक्कों द्वारा हुई है। जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में कुषाण कालीन मुद्राओं की प्राप्ति से यहां कुषाण का शासन रहा होने का अनुमान है। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र राव बीका ने सन् 1488 ई. में बीकानेर रियासत की स्थापना की थी। कहा जाता है कि बीकानेर के इतिहास में श्रीगंगानगर का इतिहास छिपा है। राव बीका ने मौहीलो व तुर्कों की संयुक्त सेना को हराकर इस क्षेत्र को बीकानेर स्टेट में शामिल किया। जो सन् 1949 तक बीकानेर स्टेट के राजस्थान में विलय होने तक रहा। 30 मार्च 1949 को आंशिक परिवर्तन कर इस क्षेत्र को श्रीगंगानगर जिला घोषित किया गया। 12 जुलाई 1994 को श्रीगंगानगर जिले में से ही हनुमानगढ़ जिला अलग किया गया था। वर्तमान में श्रीगंगानगर के नाम से विख्यात यह जिला एक समय निर्जन क्षेत्र था। महाराजा गंगा सिंह के सतत् प्रयत्न से इस जिले की प्यासी और शुष्क भूमि में गंगनहर का आगमन हुआ। उसी कारण यह जिला वर्तमान में कृषि उपज का भण्डार बन गया है। सम्पूर्ण राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में इस जिले का नाम अग्रणी है। इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम गंगानगर रखा गया है और जिले के लोग यह नाम बड़े गर्व के साथ लेते है।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि गंगनहर के आगमन से पूर्व यह स्थान एक छोटे से गाँव या ढाणी के रूप में था, जिसे प्रारंभ में रामू जाट की ढाणी तत्पश्चात् रामनगर के नाम से जाना गया। रामनगर वर्तमान नहर 'ए' माईनर के पश्चिम में स्थित था। गंगनहर आने के पश्चात् इस गाँव ने मण्डी का रूप ले लिया। जिसे महाराजा गंगा सिंह के नाम पर श्रीगंगानगर नाम से पुकारा जाने लगा।

उपर्युक्त विवरण दर्शाता है कि श्रीगंगानगर जिले का इतिहास अतीत से लेकर वर्तमान तक गतिशील एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। सन् 1927 में गंगनहर व सन् 1958 में घग्घर नाली के आगमन, भाखड़ा व इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण ने वर्तमान में श्रीगंगानगर जिले को राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सिरमौर बना दिया है। यह जिला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र, कृषि एवं औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। श्रीगंगानगर जिला राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में $28^0 4'$ से $30^0 6'$ उत्तरी अंक्षाश तथा $72^0 30'$ से $74^0 16'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले के दक्षिण में बीकानेर जिला, उत्तर–पश्चिम में पाकिस्तान का बहावलपुर जिला, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला है तो उत्तर में पंजाब राज्य का फिरोजपुर जिला है। जिले की औसत ऊँचाई समुद्रतल से 168 मीटर से 227 मीटर के मध्य है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1092960 वर्ग हैक्टेयर है। श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत श्रीगंगानगर, सादूलशहर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पदमपुर, करणपुर, और रायसिंहनगर, कुल 7 पंचायत समितियाँ शामिल हैं। श्रीगंगानगर जिला कर्क रेखा से $6^0 6'$ उत्तर में स्थित है। अंक्षाशीय स्थिति के अनुसार यह शीतोष्ण प्रदेश में स्थित है। किन्तु जलवायु की दृष्टि से यह ऊष्ण कटिबन्धीय विशेषताएँ रखता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राज्य के अन्य जिलों की अपेक्षा यह जिला असीम संभावनाएँ समेटे हुए है। सदियों से प्यासी धरा अपनी प्यास बुझाकर सोना उगल रही है। राज्य सरकार को सर्वाधिक राजस्व देने वाला, कृषि एवं आर्थिक क्षेत्र में अग्रणी यह जिला उद्योग, व्यवसाय, परिवहन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है।

शोध कार्य का महत्व

इस शोध ग्रन्थ के अध्ययन से नाबार्ड की कार्यप्रणाली व वित्तीय ढाँचे का अध्ययन तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित तैयार की गई विभिन्न योजनाओं का अवलोकन कर सकते हैं। इस शोध के अध्ययन से संस्थागत साख के ढाँचे में नाबार्ड के योगदान तथा नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही ऋण योजनाओं का अध्ययन कर सकते हैं तथा इन ऋण योजनाओं का लाभ कृषकों को कहाँ तक मिला है यह भी पता लगा सकते है। नाबार्ड की ऋण योजनाओं से लाभान्वित ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आया है अथवा ये ऋण योजनाए मात्र कागजों तक सिमट कर रह गयीं हैं? क्या वास्तव में ऋणों का सही उपयोग हुआ है? इन सबका अध्ययन प्राप्त आँकड़ो के विश्लेषण से कर सकते हैं। नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली कृषिजन्य सुविधाओं का कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादकता पर प्रभाव का अध्ययन तथा नाबार्ड की योजनाओं का ग्रामीण कृषि, ग्रामीण लघु–कुटीर उद्योगों पर प्रभाव की विवेचना कर सकते हैं।

कृषि के सन्दर्भ में वित्त की आवश्यकता तथा नाबार्ड की ऋण योजनाओं का वर्णन कर इन ऋण योजनाओं से ग्रामीणों के जीवन स्तर में आर्थिक परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है तथा नाबार्ड द्वारा ऋण प्रदान करने वाली प्रक्रिया का अध्ययन कर नाबार्ड में चल रही समस्याओं का पता लगा सकते हैं। शोध कार्य द्वारा यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि जिस उद्देश्य से नाबार्ड की स्थापना की गयी है, वह उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ है? नाबार्ड द्वारा पारित योजनाएँ कहाँ तक सफल हो पायी हैं, का पता लगा सकते हैं।

शोध कार्य के उद्देश्य

वर्तमान में अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की कार्यप्रणाली का बारीकी से अवलोकन करना है। इसके अलावा इस अध्ययन को रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कतिपय अन्य उद्देश्य भी निर्धारित किए गये हैं। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1. नाबार्ड की स्थापना के पूर्व आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना।
2. संस्थागत साख के ढाँचे में नाबार्ड के योगदान का मूल्यांकन करना।
3. नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही ऋण योजनाओं का अध्ययन करना और नाबार्ड की इन ऋण योजनाओं का लाभ कृषकों को कहाँ तक मिला है का पता लगाना।
4. नाबार्ड की योजनाओं का कृषि एवं ग्रामीण विकास पर प्रभाव की विवेचना करना।
5. नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली कृषिजन्य सुविधाओं का कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादकता पर प्रभाव का अध्ययन करना।
6. कृषि के सन्दर्भ में वित्त की आवश्यकता तथा नाबार्ड की ऋण योजनाओं का विवरण देना तथा नाबार्ड की ऋण योजनाओं के फलस्वरूप ग्रामीणों के जीवन स्तर व आर्थिक दशा में परिवर्तन का अध्ययन करना।
7. नाबार्ड की कृषि एवं ग्रामीण विकास में भूमिका का विश्लेषण।

शोध परिकल्पनाएँ

इस अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप उपलब्धियाँ प्राप्त करने के लिए कुछ परिकल्पनाएँ तय की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं :–

1. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2. नाबार्ड द्वारा किसानों को अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण कृषि उत्पादन कार्यों हेतु उपलब्ध करवाये जाते हैं जिससे कृषि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि सम्भव है।
3. नाबार्ड किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिससे किसानों का महाजनों व आड़तियों द्वारा आर्थिक शोषण नहीं हो पाता है।
4. नाबार्ड द्वारा कृषि कार्यों हेतु वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। कृषि विकास के साथ ही ग्रामीण विकास सम्भव है क्योंकि देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या गाँवो में रहती है और अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है।
5. कृषि और ग्रामीण विकास के द्वारा ग्रामीणों की आर्थिक दशा व जीवन स्तर सुधरता है। यह सत्य है कि ग्रामीण विकास द्वारा ही देश का आर्थिक विकास सम्भव हो सकता है।
6. नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है।
7. नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त सुविधा से कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत साख प्रदान करने वाली संस्थाओं को सम्बल मिला है।

विधि–तंत्र

यह शोध कार्य मुख्य रूप से प्राथमिक एवं द्वितीय सूचनाओं पर आधारित है और इन्हीं सूचनाओं से निष्कर्ष निकाले गए। इस शोध कार्य हेतु द्वितीय समंक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यालय, जयपुर से प्रकाशित एवं अप्रकाशित सामग्री व स्रोतों से प्राप्त किए गए। इसके अलावा राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिलों में कार्यरत केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यालयों से भी प्रकाशित एवं आन्तरिक दस्तावेजों से समंक प्राप्त किए गए। इसके साथ ही कृषि विभाग, श्रीगंगानगर राजस्थान ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग श्रीगंगानगर एवं सांख्यिकीय विभाग श्रीगंगानगर से भी प्रकाशित सूचनाएँ तथा दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र–पत्रिकाओं से प्राप्त सूचनाएँ भी प्राप्त की गई।

प्राथमिक आँकडे प्राप्त करने हेतु श्रीगंगानगर जिले की 9 तहसीलों में से 4 तहसीलों का निदर्शन विधि से चयन किया गया। फिर प्रत्येक तहसील में स्थित गाँवो में से 10–10 गाँवो का चयन निदर्शन विधि से किया गया, तत्पश्चात प्रत्येक गाँव में से 10–10 कृषको का चयन किया गया, जिनके साक्षात्कार द्वारा और प्रश्नावलियाँ भरकर सूचनाएँ एकत्र की गई। चयनित 400 कृषकों से प्राप्त सूचनाओं का पृथक–पृथक सारणीयन किया गया। सारणीबद्ध व्यवस्थित तथ्यों का सरल सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों से विश्लेषण करके परिणाम निकाले गये। समंकों से विश्लेषण तक पहुँचने के लिये सामान्तर माध्य, काल श्रेणी तकनीकी तथा विभिन्न सूचकांकों का प्रयोग किया गया।

नाबार्ड की आवश्यकता एवं स्थापना

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि द्वारा दो–तिहाई से भी ज्यादा जनसंख्या को आजीविका उपलब्ध करवाई जाती है तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में भी इसका विशेष योगदान है। भारतीय कृषि का अर्थव्यवस्था में सर्वोपरि स्थान होने के बावजूद स्वतन्त्रता के 59 वर्ष बाद भी इसके पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सका। आज भी कृषि में पुराने तौर तरीके काम में लिए जा रहे हैं। रासायनिक खाद का बहुत कम प्रयोग, सिंचाई के साधनो का अभाव पाया जाता है। साथ ही कृषि कार्यों में नवीन तकनीक एवं उन्नत साधनों का प्रयोग वांछित स्तर पर नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति होने के कारण कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता काफी कम है। कृषि के पिछड़ेपन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण संस्थागत वित्तीय स्त्रोतों से पर्याप्त मात्रा में कृषि साख की आपूर्ति नहीं होना है। यद्यपि कृषि वित्त के लिए संस्थागत साख स्त्रोतों में वृद्धि हुई है, लेकिन आज भी एक तिहाई कृषक साख के लिए निजी स्त्रोतों पर निर्भर करते हैं।

1600 ई. में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की तभी से भारतीय कृषि के बुरे दिन शुरू हो गए थे। अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने भारत में प्रवेश किया। धीरे–धीरे इन लोगों ने अपने पैर भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर फैलाने शुरू कर दिए। अंग्रेज व्यापार व व्यवसाय के रूप में आर्थिक सत्ता के साथ–साथ राजनीतिक सत्ता को भी हथियाने लगे। इस प्रकार अंग्रेजी शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहरा शोषण होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की औद्योगिक स्थिति न्यून स्तर पर थी। कृषि की दशा भी अत्यन्त ही शोचनीय थी

इसी संकल्प के साथ भारत सरकार ने योजनाबद्ध विकास को अपनाया तथा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 1 अप्रैल 1951 को राष्ट्रीय स्तर पर परियोजनाबद्ध विकास को प्रारम्भ किया गया। शिवरमन समिति की अनुशंसाओं को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा यह निश्चित किया गया कि कृषि एवं ग्रामीण वित्त प्रदान करने वाली समस्त संस्थाओं को एक जुट होकर कार्य करना चाहिए। फलतः नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद में आवश्यक विधेयक पारित कर की गई।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के कार्य

नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। कृषि साख को मजबूत ढाँचा स्थापित कर विभिन्न परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। यह बैंक अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है :–

1. नाबार्ड योजनाओं को तैयार करने, सहकारी संस्थाओं के पुनर्गठन, कार्मिको के प्रशिक्षण सहित ऋण प्रदाय प्रणाली तथा ऋण उपयोग करने की क्षमता को सुधारने के लिए संस्थागत निर्माण की दिशा में कदम उठाता है।
2. फील्ड स्तर पर विकास कार्य में लगी सभी संस्थाओं के वित्तीय कार्यकलापों का समन्वय करता है और नीति निर्धारण से जुड़ी अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ सम्पर्क बनाए रखता है।
3. देश के सभी जिलों के लिए वार्षिक आधार पर ग्रामीण ऋण योजनाएँ तैयार करता है। ये योजनाएँ सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के वार्षिक ऋण आयोजनों का आधार बनती है।
4. नाबार्ड जिन परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता हैं। वह उनका अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन का कार्य भी करता है।
5. विनियामक प्राधिकारी के रूप में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करता है तथा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करता है।
6. कृषि एवं ग्रामीण विकास में संलग्न पात्र संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए निवेश व उत्पादन ऋण देने वाली संस्थाओं की शीर्ष पुनर्वित्त एजेन्सी के रूप में कार्य करना।
8. विकास कार्यक्रम में संलग्न सभी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही वित्तीय व्यवस्था में तालमेल बैठाना और राज्य सरकारों, रिजर्व बैंक व नीति निर्माण से सम्बद्ध राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाओं से सम्पर्क बनाये रखना।
9. कृषि में वृहद् निवेश के लिए राज्य सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा व्यापारिक बैंकों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है।
10. केन्द्रीय व राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निरीक्षण की जिम्मेदारी कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक को सौंपी गई हैं।
11. ग्रामीण साख के क्षेत्र में कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है।
12. निर्धारित कृषि उद्देश्यों तथा प्राकृतिक विपदाओं से ग्रस्त इलाकों में अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन, करने के लिए यह राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यकालीन साख में परिवर्तित करने की अनुमति देता है।

उपलब्धियाँ

1. नाबार्ड द्वारा वर्ष 1995–96 में कृषि कार्यों हेतु 7431.79 लाख के ऋण वितरित किए गए जोकि 2005–06 में बढ़कर 75140 लाख रूपये हो गए।
2. नाबार्ड ने कृषि यन्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 1995–96 में 2765.54 लाख रूपये के ऋण दिए गए जो वर्ष 2004–05 में 4825.42 लाख रूपये हो गए।
3. नाबार्ड द्वारा वर्ष 2004–05 में भूमि विकास हेतु ऋण वितरण के लक्ष्य 155.70 लाख की अपेक्षा 398.05 लाख के ऋण वितरित किए गए। वर्ष 2005–06 में नाबार्ड द्वारा 535.57 लाख के ऋण वितरित किए गए।
4. व्यक्तिगत सर्वे में पाया गया कि 80 प्रतिशत परिवार उन्नत किस्म के कृषि यन्त्रों (ट्रेक्टर, सीड ड्रिल, थ्रेसर) आदि का प्रयोग करते है जबकि 20 प्रतिशत किसान पुराने कृषि यन्त्रों (बैल, ऊँट, हल) का प्रयोग करते हैं।

5. विभिन्न श्रेणी के कृषकों को पी.वी.सी./एच.डी.पी.ई./सीमेंट पाईपों पर सिंचाई करने हेतु 110 एम एम से 200 एम. एम. तक नाबार्ड की अनुमोदित इकाई लागत 50 प्रतिशत स्वीकृत किया जाता है जिले में अमूल्य नीर योजना व बूँद बूँद सिंचाई योजना के अंतर्गत विभिन्न फसलों पर दूरी के आधार पर बूँद बूँद सिंचाई संयंत्र पर लागत का अधिकतम 60–70 प्रतिशत तक अनुदान देय है।
6. वर्ष 2001–02 में नाबार्ड द्वारा लघु सिंचाई हेतु ऋण का लक्ष्य 413.85 लाख रूपये था जबकि ऋण का वितरण 513.63 लाख रूपये किया गया।
7. वर्ष 1997–98 में नाबार्ड द्वारा पशुपालन हेतु 117 लाख रूपये का ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था जबकि इसकी अपेक्षा 131.07 लाख के ऋण वितरित किए गए।
8. पड़ोसी राज्य पंजाब के अबोहर–फाजिल्का इलाके की तरह श्रीगंगानगर जिला भी बागोबाग हो रहा है। पिछले तीन साल में किन्नु के बागों का रकबा दो गुणा बढ़ गया है। वर्ष 2002–03 में किन्नु का रकबा 3285 हैक्टेयर था जो वर्ष 2005–06 में बढ़कर 6400 हैक्टेयर हो गया है

सीमाएँ/कमियाँ

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने अपनी स्थापना से ही कृषि के लिए सुपरिभाषित कृषि नीति के तहत् वित्तीय ढाँचे को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया है। बैंक ने सहकारी संस्थाओं, व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से अन्तिम कृषक लाभार्थी को वित्त सुविधा प्रदान की है। वस्तुतः यह बैंक पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है, अतः इन संस्थाओं के माध्यम से वित्त व्यवस्था की जाती हैं। लेकिन नाबार्ड के प्रयासों के बावजूद भी कृषि एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि साख सम्बन्धी कई समस्याएँ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है:–

1. यद्यपि राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार संबंधी अनेक काश्तकारी अधिनियम बनाए है जो श्रीगंगानगर जिले में भी लागू किए गए है, परंतु वे अपर्याप्त व दोषपूर्ण है क्योंकि कृषक अभी भी खातेदारी के अधिकारों से वंचित है, तथा कृषकों की भूमि का वितरण असमान है।
2. जिले के कुछ किसान आर्थिक तंगी के कारण बाजार से उन्नत बीज, उर्वरक व कीटनाशक खरीदने में परहेज करते है, और पुराना बीज ही बो देते है, और बिना खाद या कीटनाशकों के फसलों का उत्पादन करना पड़ता है, जिससे उत्पादन में कमी आती है।
3. सम्पूर्ण भारत की तरह श्रीगंगानगर जिले में भी कृषि भूमि से अति उत्पादन लेने की होड़ में किसान अपनी भूमि को बिना खाली छोड़े सारी भूमि पर ही फसलोत्पादन करना चाहते है जिससे यहाँ की भूमि की उत्पादन क्षमता का ह्रास हो रहा है।
4. आधुनिक समय में किसान खादों के बिना खेती करने के बारे में सोच भी नहीं सकता जिसके कारण आज वह उत्पादन बढ़ाने के लिए खादों का अँधा–धुँध प्रयोग कर रहा है जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है।
5. जिले में वर्षा की कमी, सूखे, अकाल व प्राकृतिक प्रकोप के कारण कभी–कभी अच्छी फसलें भी नष्ट हो जाती है। कभी–कभी प्राकृतिक तत्व यथा फसलों की अनेक बीमारियाँ, सूखा, ओले तथा शीत लहरें आदि फसलों को नुकसान पहुँचाती है, जिससे खड़ी फसल में भारी नुकसान होता है।
6. श्रीगंगानगर जिले में लगभग प्रत्येक किसान पशुपालन करता है, परंतु यहाँ के पशु बढ़िया नस्ल के नहीं है। यहाँ पर पशु कम दूध वाले होते है, अतः किसान ज्यादा संख्या में पशुओं को पालते है, जिनके लिए हरे चारे की व्यवस्था की जरूरत को पूरा करने के लिए किसानों को बड़ी मात्रा में चारा वाली फसलें बिजाई कर उनके चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है, अतः पशुओं की अधिकता भी कृषि विकास में बड़ी बाधा है।
7. श्रीगंगानगर जिले में लगभग प्रत्येक किसान पशुपालन करता है, परंतु उनसे प्राप्त गोबर को अधिकतर किसान ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह उस खाद का दुरुपयोग है तथा इसके अलावा किसान अपने खेत में जो खाद डालते है वो गीला गोबर ही डाल देते हैं, जिससे भूमि के उपजाऊपन में कोई खास वृद्धि नहीं होती है,
8. नाबार्ड अपनी गतिविधियों का संचालन अपने मुख्यालय, 17 क्षेत्रीय कार्यालयों, 10 उप–कार्यालयों एवं 213 जिला कार्यालयों के माध्यम से करता है। इतने बड़े देश के लिए यह कार्य योजना किसी भी स्थिति में पर्याप्त नहीं कही जा सकती है।
9. व्यक्तिगत सर्वेक्षण के समय स्थिति का अवलोकन करने एवं कृषकों से अनौपचारिक बातचीत में यह तथ्य सामने आया कि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन संस्थाओं से गरीब एवं जरूरतमंद किसान को समय पर बिना रिश्वत के ऋण मिलना असम्भव तो नहीं पर मुश्किल जरूर है। इन बैंकों के प्रबन्धकों ने अपने दलाल बना रखे हैं तथा रिश्वत नहीं देने के स्थिति में कई चक्कर लगवाते है तथा पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं देते है।
10. नाबार्ड द्वारा किसानों को दिए जाने वाले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की राशि एक मुश्त नहीं दी जाती जिसके कारण वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया गया था।

सुझाव

1. नाबार्ड द्वारा किसानों को दिए जाने वाले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की राशि एक मुश्त दी जानी चाहिए जिससे कि वह उद्देश्य पूरा हो सके जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया गया है।
2. जिले के किसानों को बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था की सुविधा को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कृषि के वैज्ञानिक उपकरण, उर्वरक तथा उन्नत बीज खरीदकर उत्पादन में वृद्धि कर सके।
3. वर्षा की कमी, सूखे, अकाल व प्राकृतिक प्रकोप के कारण कभी–कभी अच्छी फसलें भी नष्ट हो जाती है। अतः किसानों को ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए बीमा योजना का लाभ देना अति आवश्यक है, जिससे किसानों को वित्तीय कठिनाईयों से राहत मिल सके।
4. सरकार को सहकारी विपणन व्यवस्था, मण्डी नियंत्रण और भण्डारण की व्यवस्था को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस दिशा में सरकार द्वारा कृषि मूल्य निर्धारण नीति एक सराहनीय कदम है।
5. ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मरूस्थल का प्रसार हो रहा है वृक्षारोपण कार्यक्रम पर बल दिया जाना आवश्यक है, जिससे मृदा के कटाव में कमी आएगी और भूमि में सुधार होगा। परिणामस्वरूप जिले के कृषि उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जिले में वृक्षारोपण द्वारा मरूस्थलीय प्रसार को रोका जा सकता है।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए संचालित की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम से वहाँ आवासीय सुविधाओं का विस्तार तो सम्भव है लेकिन यहाँ वास्तविक आवश्यकताओं की कमी को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।
7. व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको एवं सहकारी संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुए उन्हें अधिक से अधिक कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने वित्त की माँग कृषक करते है उतना बैंकों द्वारा दिया जाना चाहिए।
8. नाबार्ड वित्तीय बैंकों को निर्देशित करें कि परियोजना की तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता को देखे बिना ऋण स्वीकृत नहीं करें तथा ऐसे बैंकों द्वारा पुनर्वित्त के लिए प्रस्तुत योजनाओं को नाबार्ड स्वीकृति प्रदान न करें। कृषि एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित परियोजना की साध्यता का विश्लेषण किए बिना यदि कोई बैंक ऋण देती है तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। अवधिपार ऋणों वाले बैंकों को हिदायत देनी चाहिए कि अवधिपार ऋण क्यों बढ़ रहें हैं। उनकी पूर्ण जाँच होनी चाहिए।
9. नाबार्ड की प्राथमिकता कृषि ऋणदात्री समितियों को सीधा ऋण उपलब्ध करवाना होनी चाहिए। यदि पुनर्वित्त की राशि अधिक हो तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान कर मध्यस्थों को कम करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अत्याधिक पिछड़े क्षेत्रों में गरीब किसानों एवं दस्तकारों को कुछ सीमा तक प्रत्यक्ष रूप से भी ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
10. नाबार्ड को भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु आगे आना चाहिए तथा रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। नाबार्ड को समय–समय पर इनका निरीक्षण करना चाहिए। कृषकों से भी सम्पर्क रहना चाहिए। इससे भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पहचान में मदद मिलेगी। इसके लिए संस्थावार शोध अध्ययन भी आयोजित किए जाने चाहिए। प्रश्नावली, अनुसूची एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा कृषकों से विभिन्न सूचनाएँ प्राप्त करनी चाहिए ताकि वस्तुस्थिति का पता लगाया जा सके।
11. श्रीगंगानगर जिले के तापमान के हिसाब से नींबू वर्गीय पौधे का बड़े स्तर पर उत्पादन लाभकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा करौंधा, फालसा, देसी गुलाब, बेलपत्र, जौ, ग्वारगम, चकुंदर, औषधीय पौधे, ग्वारपाठा, मलेठी, खेजरी, पीलू व फोग आदि भी ऐसे उत्पाद है जिन्हे व्यापारिक दृष्टि से महत्व दिया जाना चाहिए।

श्रीगंगानगर जिले में कृषि के विकास के लिए किसान तथा सरकार द्वारा उपर्युक्त उपाय अपनाए जाएँ तो यहाँ के कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि संभव है। पूर्व विवरणों से स्पष्ट होता है कि जिले में कृषि विकास की असीम संभावनाएँ विद्यमान है, जिसका भरपूर उपयोग किया जाना आवश्यक है। इस दिशा में यहाँ के किसान व सरकार दोनों जागरूक हैं, एवं श्रीगंगानगर जिला कृषि विकास पथ पर अग्रसर है अतः यह कहा जा सकता है कि यह जिला कृषि उत्पादन की दृष्टि से और अधिक विकसित होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. दत्त, रूद्र एवं सुन्द्रम, के.पी. एम (2010) : भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चन्द एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली।
2. गुप्ता, एम. एल. एवं शर्मा, डी.डी (2013): सामाजिक अनुसंधान विधि, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा (उ. प्र.)
3. हुसैन, वी, सैयद (2004), ''भारत और आगे की चुनौतियों में लघु उद्योग का प्रदर्शन'', इण्डियन जरनल ऑफ सोशल रिफॉर्म
4. एम. सोमप्पा (1968), ''गाँव और कुटीर उद्योगों को मजबूत करने की आवश्यकता'', खादी ग्रामोद्योग, पृष्ठ सं., 3–6
5. पुरी, वी. के एवं मिश्र, एस. के (2013) : भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया. पब्लिशिंग हाऊस. मुम्बई।
6. सिंह, कुलदीप (2004),''भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक रूग्णता'' शोध प्रबंध, छत्रपति भाहुजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
7. वीपा, राम कुमार (1989) ''भारत में आधुनिक लघु उद्योगः समस्याएं और संभावनाएं'' सेज प्रकाशन, नई दिल्ली

पत्र–पत्रिकाएँः–

1. कुरूक्षेत्र (मासिक पत्रिका), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
2. दैनिक समाचार पत्र – राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सीमा सन्देश।
3. प्रतियोगिता दर्पण (मासिक पत्रिका), आगरा।
4. योजना (मासिक पत्रिका), मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. राजस्थानी खेती (मासिक पत्रिका), श्रीगंगानगर
6. श्रीगंगानगर जिला दर्शन, सूचना केन्द्र, श्रीगंगानगर

प्रतिवेदन :–

1. Agricultural Statistics, Rajasthan 2010-11 Des.
2. Basic Statistics, Rajasthan 2011.
3. Annual Report - National Bank For Agriculture and rural development, (year 2000-01 to year 2013-14)
4. Potential Linked Credit Plan] District Sriganganagar. (Year 2000-01 to 2014-15)
5. आर्थिक समीक्षा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। (वर्ष 2004–05 to 2013–14)
6. वार्षिक प्रतिवेदन, जिला सांख्यिकी विभाग, श्रीगंगानगर। (वर्ष 1997, 2003, 2004)
7. वार्षिक प्रतिवेदन, जिला सांख्यिकी विभाग, श्रीगंगानगर (वर्ष 1997 से 2005)
8. वार्षिक प्रतिवेदन, मौसम विभाग, श्रीगंगानगर (वर्ष 2004 से 2014)